



पत्रांक:—BEP/RTE/Pvt. Reg./2019-20/1222

दिनांक 20/06/2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
आर०एम० पब्लिक स्कूल, विशम्भरपुर
प्रखण्ड— मौंझा।


विषय:— बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की नवीनीकरण का प्रमाण— पत्र।

महाशय/महाशया,


आपके द्वारा संचालित विद्यालय आर० एम० पब्लिक स्कूल, विशम्भरपुर प्रखण्ड— मौंझा प्रस्वीकृति सं०— 305 वर्ग—I-VIII सत्र—2017-18 से 2019-20 तक के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, गोपालगंज के आदेशानुसार विद्यालय का नवीनीकरण तीन शैक्षणिक वर्षों 2020-21 से 2022-23 तक के अवधि तक किया जाता है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति/नवीनीकरण पूर्व के शर्तों के साथ-साथ निम्न संशोधित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:—

1. विद्यालय द्वारा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के अनुपालन में शुल्क विनियमन समिति के आदेश के आलोक में विद्यालय का बेवसाइट खोलते हुए शुल्क से संबंधित जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष यू-डायस प्लस प्रपत्र के द्वारा विद्यालय से संबंधित ऑकड़ा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. विद्यालय द्वारा सुरक्षा मानक का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।


Principal
R M Public School
Bishambharpur, Gopalganj



विश्वासभाजन

30/06/2020
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी—सह-सचिव,
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)
गोपालगंज